न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 726 / 2024

अनवान : –

1. ओम पुत्र सुलतान जाति जाट निवासी कटेड़ा हाल निवासी थिराना तहसील नोहर।
2. धन्नाराम पुत्र सुलतान जाति जाट निवासी कटेड़ा हाल निवासी थिराना तहसील नोहर।
3. मांगीलाल पुत्र कृष्ण जाति जाट निवासी कटेड़ा हाल निवासी थिराना तहसील नोहर।
4. भागीरथ पुत्र सुलतान जाति जाट निवासी कटेड़ा हाल निवासी थिराना तहसील नोहर।

– वादी

बनाम्

1. गुलाबसिंह पुत्र प्रताप सिंह जाति राजपूत निवासी थिराना तहसील नोहर।
2. विक्रमसिंह पुत्र पृथ्वी सिंह जाति राजपूत निवासी थिराना तहसील नोहर।
3. शिशपाल सिंह उर्फ पालसिंह पुत्र तिलोकसिंह जाति राजपूत निवासी थिराना तहसील नोहर ।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

5. बृजादेवी पत्नी कृष्ण जाति जाट निवासी कटेड़ा हाल निवासी थिराना तहसील नोहर।
6. रानी पुत्री कृष्ण जाति जाट निवासी कटेड़ा हाल निवासी थिराना तहसील नोहर।
7. सरोज पुत्री कृष्ण जाति जाट निवासी कटेड़ा हाल निवासी थिराना तहसील नोहर।

– तरतीबी प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88–89 ,राजस्थान काश्त0 अधि0 1955

उपस्थिति :– श्री रविन्द्र गोदारा अधिवक्ता वादी
पेरोकार राज

निर्णय दिनांकः 12/08/2024

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा थिराना तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2072–2075 के खाता संख्या 393 / 3 के खसरा नं. 295 की कुल तादादी 7.5880 है0 भूमि में वादीगण 1 ता 4 व तरतीवी प्रतिवादीगण संख्या 5 ता 7 मुश्तरका खातेदार काश्तकार दर्ज राजस्व रिकार्ड है। जिसमें वादी संख्या 1 व 2 प्रत्येक का 9487 / 75880 हिस्सा, वादी संख्या 3 का 2711 / 37940 हिस्सा, वादी संख्या 4 का 1186 / 9485 हिस्सा तथा तरतीवी प्रतिवादी संख्या 5 व 7 प्रत्येक का 1 / 56 हिस्सा व तरतीवी प्रतिवादी संख्या 6 का 339 / 18970 हिस्सा दर्ज राजस्व रिकार्ड है। रोही मौजा थिराना तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2072–2075 के खाता [illegible]1 / 142 के खसरा नं. 608 की 8.0680 है0 मुश्तरका खाता की भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 [illegible]65 / 4034 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 2 का 253 / 4034 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 3 का 759 / 8068 हिस्सा दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.09.05 13:18:16 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

खाता विभाजन के पश्चात वादीगण संख्या 1 ता 4 व तरतीवी प्रतिवादी संख्या 5 ता 7 की कि रोही मौजा थिराना तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2072–2075 के खाता संख्या 393/3 के खसरा नं. 295 की कुल तादादी 7.5880 है0 भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 के 2.53 है0, प्रतिवादी संख्या 2 को 0.506 है0 व प्रतिवादी संख्या 3 के 0.759 है0 भूमि पर काबिज है तथा प्रतिवादीगण की रोही मौजा थिराना तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2072–2075 के खाता संख्या 71/142 के खसरा नं. 608 की 8.0680 है0 भूमि में वादी संख्या 1 के 0.9487 है0 भूमि, वादी संख्या 2 के 0.9487 है0 भूमि, वादी संख्या 3 के 0.5422 है0 भूमि, वादी संख्या 4 के 0. 9488 है0 भूमि तरतीवी प्रतिवादी संख्या 5 के 0.1355 है0 तरतीवी प्रतिवादी संख्या 6 के 0.1356 है0 व तरतीवी प्रतिवादी संख्या 7 के 0.1355 है0 भूमि पर काबिज है जिसकी वादीगण न्यायालय से घोषणा करवाना चाहते है।

वादग्रस्त भूमि रोही मौजा थिराना में स्थित है जिसमें वादीगण, तरतीवी प्रतिवादीगण व प्रतिवादीगण की भूमि आपस में चिपती हुई है। वादग्रस्त भूमि का खाता विभाजन के समय से ही कब्जा काश्त के अनुसार ही काश्त करते चले आ रहे है लेकिनराजस्व रिकार्ड में खसरे गलत दर्ज हो गये है इसलिए वादीगण राजस्व रिकार्ड में मुताबिक कब्जा काश्त के अनुसार दुरूस्त करवा पाने के अधिकारी है। रोही मौजा थिराना तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2072–2075 के खाता संख्या 393/3 के खसरा नं. 295 की कुल तादादी 7.5880 है0 भूमि में से प्रतिवादी संख्या 1 के 2.53 है0, प्रतिवादी संख्या 2 को 0.506 है0 व प्रतिवादी संख्या 3 के 0.759 है0 भूमि पर काबिज है लेकिन राजस्व रिकार्ड में वादीगण व तरतीवी प्रतिवादीगण के दर्ज है इसी प्रकार रोही मौजा थिराना के खाता संख्या 71/142 के खसरा नं. 608 की 8.0680 है0 भूमि में वादी संख्या 1 के 0.9487 है0 भूमि, वादी संख्या 2 के 0.9487 है0 भूमि, वादी संख्या 3 के 0.5422 है0 भूमि, वादी संख्या 4 के 0.9488 है0 भूमि तरतीवी प्रतिवादी संख्या 5 के 0.1355 है0 तरतीवी प्रतिवादी संख्या 6 के 0.1356 है0 व तरतीवी प्रतिवादी संख्या 7 के 0.1355 है0 भूमि पर काबिज है लेकिन राजस्व रिकार्ड मे प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के नाम दर्ज है इसलिए वादीगण मुताबिक कब्जा काश्त भूमि को राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है यही विनाय दावा है।

वादी ने प्रतिवादी स0 1 को कई दफा कहा कि वाद वादी मुताबिक अनुतोष राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के बाद प्रतिवादी सं0 1 ता 3 व 5 ता 7 ने जरिये अधिवक्ता वादी के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल दावा पेश किया जाकर निवेदन किया की वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया [illegible] संख्या 1 ता 3 व 5 ता 7 को कोई ऐतराज नही है। प्रतिवादी संख्या [illegible] जो की शामिल मिसल किया गया। वादी ने वाद के समर्थ[illegible] साक्ष्य जमाबंदी पेश की जो कि शामिल मिसल की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.09.05 13:18:16 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

प्रकरण में प्रतिवादीगण का इकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी के द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने कथन किया कि उक्त वाद भूमि मुश्तरका खाता में वादी व प्रतिवादीगण के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। वादी व प्रतिवादीगण का बाहमी बंटवारा हो चुका है मुताबिक बंटवारा ही वाद भूमि कब्जा व काश्त में है एवं इसी अनुसार वाद भूमि का अपने नाम दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। प्रतिवादीगण द्वारा वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के संबंध में कोई एतराज नही है। अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबूतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावें।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वाद में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा थिराना तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2072–2075 के खाता संख्या 393/3 के खसरा नं. 295 की कुल तादादी 7.5880 है0 भूमि में वादीगण 1 ता 4 व तरतीवी प्रतिवादीगण संख्या 5 ता 7 मुश्तरका खातेदार काश्तकार दर्ज राजस्व रिकार्ड है। जिसमें वादी संख्या 1 व 2 प्रत्येक का 9487/75880 हिस्सा, वादी संख्या 3 का 2711/37940 हिस्सा, वादी संख्या 4 का 1186/9485 हिस्सा तथा तरतीवी प्रतिवादी संख्या 5 व 7 प्रत्येक का 1/56 हिस्सा व तरतीवी प्रतिवादी संख्या 6 का 339/18970 हिस्सा दर्ज राजस्व रिकार्ड है। रोही मौजा थिराना तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2072–2075 के खाता संख्या 71/142 के खसरा नं. 608 की 8.0680 है0 मुश्तरका खाता की भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 का 1265/4034 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 2 का 253/4034 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 3 का 759/8068 हिस्सा दर्ज राजस्व रिकार्ड है। वादी का कथन है कि वादी व प्रतिवादीगण का बाहमी बंटवारा हो चुका है एवं मुताबिक बंटवारा ही कब्जा काश्त में है। वादी व प्रतिवादीगण मुताबिक बंटवारा वाद भूमि का खाता व लगान अलग करवाना चाहते है प्रतिवादीगण द्वारा वादी के उक्त कथनों को स्वीकार करते हुए इकबाल पेश किया गया है कि वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 को कोई एतराज नही है। अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा थिराना के खाता संख्या 71/14[illegible]रा नं. 608 की 8.0680 है0 भूमि में प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 का [illegible] संख्या 1 को 0.9487 है0 भूमि, वादी संख्या 2 को 0.9487 है0 भूमि, वादी संख्या 3 [illegible] 0.5422 है0 भूमि, वादी संख्या 4 को 0.9488 है0 भूमि तरतीवी प्रतिवादी संख्या 5 को 0.1355 है0 तरतीवी प्रतिवादी संख्या 6 को 0.1356

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.09.05 13:18:16 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

है0 व तरतीवी प्रतिवादी संख्या 7 को 0.1355 है0 भूमि के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा रोही मौजा थिराना तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2072–2075 के खाता संख्या 393/3 के खसरा नं. 295 की कुल तादादी 7.5880 है0 भूमि में वादीगण संख्या 1 ता 4 व तरतीवी प्रतिवादी संख्या 5 ता 7 का नाम कलमजन किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 को 2.53 है0, प्रतिवादी संख्या 2 को 0.506 है0 व प्रतिवादी संख्या 3 को 0.759 है0 भूमि के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 12/08/2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.09.05 13:18:16 IST
Reason: SelfAttested

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 726 / 2024

अनवान : –

1. ओम पुत्र सुलतान जाति जाट निवासी कटेड़ा हाल निवासी थिराना तहसील नोहर।
2. धन्नाराम पुत्र सुलतान जाति जाट निवासी कटेड़ा हाल निवासी थिराना तहसील नोहर।
3. मांगीलाल पुत्र कृष्ण जाति जाट निवासी कटेड़ा हाल निवासी थिराना तहसील नोहर।
4. भागीरथ पुत्र सुलतान जाति जाट निवासी कटेड़ा हाल निवासी थिराना तहसील नोहर।

– वादी

बनाम्

1. गुलाबसिंह पुत्र प्रताप सिंह जाति राजपूत निवासी थिराना तहसील नोहर।
2. विक्रमसिंह पुत्र पृथ्वी सिंह जाति राजपूत निवासी थिराना तहसील नोहर।
3. शिशपाल सिंह उर्फ पालसिंह पुत्र तिलोकसिंह जाति राजपूत निवासी थिराना तहसील नोहर ।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

5. बृजादेवी पत्नी कृष्ण जाति जाट निवासी कटेड़ा हाल निवासी थिराना तहसील नोहर।
6. रानी पुत्री कृष्ण जाति जाट निवासी कटेड़ा हाल निवासी थिराना तहसील नोहर।
7. सरोज पुत्री कृष्ण जाति जाट निवासी कटेड़ा हाल निवासी थिराना तहसील नोहर।

– तरतीबी प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 726 सन 2024 निर्णय दिनांक 12/08/2024

आज यह वाद मुझ पंकज गढ़वाल उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादी श्री रविन्द्र गोदारा एवं राज पेरोकार की उपस्थिति में निर्णयार्थ / अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा थिराना के खाता संख्या 71 / 142 के खसरा नं. 608 की 8.0680 है0 भूमि में प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 का नाम कलमजन किया जाकर वादी संख्या 1 को 0.9487 है0 भूमि, वादी संख्या 2 को 0.9487 है0 भूमि, वादी संख्या 3 को 0.5422 है0 भूमि, वादी संख्या 4 को 0.9488 है0 भूमि तरतीवी प्रतिवादी संख्या 5 को 0.1355 है0 तरतीवी प्रतिवादी संख्या 6 को 0.1356 है0 व तरतीवी प्रतिवादी संख्या 7 को 0.1355 है0 भूमि के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा रोही मौजा थिराना तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2072–2075 के खाता संख्या 393 / 3 के खसरा नं. 295 की कुल तादादी 7.5880 है0 भूमि में वादीगण संख्या 1 ता 4 व तरतीवी प्रतिवादी संख्या 5 ता 7 का नाम कलमजन किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 को 2.53 है0, प्रतिवादी संख्या 2 को 0.506 है0 व प्रतिवादी संख्या 3 को 0.759 है0 भूमि के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.09.05 13:18:16 IST
Reason: SelfAttested

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 12/08/24 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर